(24)

संख्या- 2113 /चि-14-97-37/97

प्रेषक,

श्री सुरेन्द्र पाल गौड़,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

1. महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

2. निदेशक,
आयुर्वेद एवं यूनानी सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

3. निदेशक,
होम्योपैथी, उ०प्र०, लखनऊ ।

चिकित्सा अनुभाग- 14 लखनऊ: दिनांक 8 जुलाई, 1997

विषय:- स्नातक पाठ्यक्रमों में विभिन्न मेडिकल कालेजों में पुनरावंटन के पश्चात् पुनः फीस न लिए जाने विषयक ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा के पत्र संख्या- एम०ई०/सी०पी०एम०टी०-96/200 दिनांक 8 मई, 1997 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान में सी०पी०एम०टी० के माध्यम से चयनित छात्रों के प्रवेश के पश्चात् पुनरावंटन होने पर नये मेडिकल कालेज में पुनः शुल्क जमा करना होता है । इस सम्बन्ध में छात्रों द्वारा यह अनुरोध किया गया है पुनरावंटन के पश्चात् पुनः फीस नहीं ली जानी चाहिए ।

2- अतः इस प्रकरण पर सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि सी०पी०एम०टी० के माध्यम से प्रदेश के समस्त राजकीय एलोपैथिक, आयुर्वेदिक/यूनानी एवं होम्योपैथी मेडिकल कालेजों तथा के०जी०- मेडिकल कालेज, लखनऊ में प्रवेश प्राप्त छात्रों के पुनरावंटन होने पर नये मेडिकल कालेज में पुनः फीस नहीं ली जायेगी । किन्तु प्रधानाचार्य यह सुनिश्चित करें कि पूर्व मेडिकल कालेज में सभी शुल्क जमा कर दी गयी है । उक्त सुविधा पुनरावंटन पर प्रवेश लेने के समय ही अनुमन्य होगी ।

---2/-

कृपया तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें ।

भवदीय,

(सुरेन्द्र पाल गोड़)
सचिव ।

संख्या- 2113 ( ) / पाँच-14-97-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त प्रधानाचार्य राजकीय एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी व होम्योपैथी मेडिकल कालेज, उ०प्र० ।
2. प्रधानाचार्य, के०जी० मेडिकल कालेज, लखनऊ ।

आज्ञा से,

(सुरेश चन्द्र धुसिया)
उप सचिव ।

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

पत्रांक एम० ई० / सीपीएमटी / फीस / 8918 दिनांक अगस्त 12, 97

प्रतिलिपि प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, लखनऊ/कानपुर/इलाहाबाद/आगरा/मेरठ/झांसी/गोरखपुर को उपरोक्त शासन की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित की जा रही है ।

(आर० के० श्रीवास्तव)
महानिदेशक,